(b) The families in these camps are those who migrated to India during 1964 and thereafter. Information regarding the exact period of stay of each family in the relief camp is not readily available. It can, however, be said that a comparatively small number of the families have arrived recenty and the large majority have been residing in the relief camps for as long as three years or so.

(c) and (d). Schemes for the early rehabilitation of the migrant families could not be drawn up expeditiously for want of land in which agriculturist families can be settled and for lack of scope in small trade and in existing industries and other non-agricultural occupations and the inability of these migrants to adapt themselves readily to the changed conditions of life. The establishment of new industries, which have been sanctioned necessarily takes sometime. Migrant have also been put through training for industrial employment and also for driving heavy motor vehicles, but it has not been easy to place them in suitable jobs for the reason that there is keen competition for all kinds of jobs. Certain migrants have also unfortunately been reluctant to go to rehabilitation projects in parts of the country away from the camps where they are residing and others, who have been found fit for jobs in industries, are, however, refusing to accept such jobs. Schemes have been formulated for the rehabilitation of the majority of the present inmates of the relief camps, both in agricultural projects and also in small trade as well as industrial establishments and the migrant families are being shifted according to programme to the sites of rehabilitation. For the families for which such schemes have not yet been formulated, attempts are being made to obtain additional areas of unoccupied land and to find places suitable for employment in small trade, industries, fisheries etc., and it is hoped that all the families awaiting rehabilitation will be resettled in about three more years.

Families of the permanent liability category will be admitted to existing Homes where some vacancies exist. The vast majority of these families will be set up in new Permanent Liability Homes which are being established in Tripura, Assam and Maharashtra and at Mana near Raipur in Madhya Pradesh.

Since 1964, 30,857 agriculturist families and 4,464 non-agriculturist families have been settled in agricultural and non-agricultural schemes respectively in various schemes spread over the country. In addition, 528 persons have been provided employment in industries. 3,307 persons have been found employment in Government and in public as well as private undertakings.

नियम पुस्तकों आदि का अनुवाद

2885. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री बलराज मधोक :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
कुमारी कमला कुमारी :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री 14 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 625 के ऊपर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी नियम पुस्तकों और प्रपत्रों का अनुवाद केन्द्रीय हिंदी निदेशालय को संशोधनार्थ भेजा गया है और किस तारीख को ;

(ख) संचार विभाग और डाक तथा तार विभाग में इस समय अनुवाद-कार्य करने के लिए नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अनुवाद-कार्य में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए भर्ती किए जाने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेर सिंह) : (क) केवल सात डाकतार नियम पुस्तकें केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को जांच के लिए भेजी गई थीं जो कि यथोचित जांच के पश्चात आ गई हैं। उनके पास जाँच के लिए फार्म नहीं भेजे गये थे। इस समय केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पास जांच के लिये कुछ भी शेष नहीं है।

(ख) डाक-तार महानिदेशालय के हिन्दी अनुभाग में काम करने वाले तकनीकी कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :-

सहायक महानिदेशक 2

अनुसंधान सहायक 4 (सभी स्थान रिक्त हैं)

हिन्दी अनुवादक 8 इनमें एक स्थान रिक्त है और एक कर्मचारी वित्त मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर है।)

हिंदी सहायक 6 (इनमें एक स्थान रिक्त है)।

(ग) अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता

2886. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री कृष्ण भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री हेम राज :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की लगभग 60 प्रतिशत कृषि भूमि केवल 10 प्रतिशत बड़े किसानों के पास है और कुल राष्ट्रीय आय का चौथाई भाग उन्हें प्राप्त होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उर्वरकों, बीजों, कृषि उपकरणों तथा सिंचाई आदि के लाभों और ऋणों की सुविधा का अधिकांश भाग इन्हीं किसानों को मिलता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने, आवश्यक भूमि सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1961 से सम्बन्धित दित्ता पर आधारित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 16 वें सर्वेक्षण के अनुसार, कृष्य भूमि के 60 प्रतिशत पर ग्रामीणों का 13 प्रतिशत काश्त करता था। कुल आय का कितना अनुपात बड़े कृष्कों को जाता है इस बारे में ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी "नेशनल कौंसिल औफ एप्लाइड इकोनोमिक्स रिसर्च द्वारा 1960 में किए नमूने सर्वेक्षणों के आधार पर राष्ट्रीय आय का छटा भाग 10 प्रतिशत कृष्कों को जाता है।

(ख) और (ग). पिछले 3 सालों में, ग्रामों में काफी सुधार हुआ है और आदानों तथा ऋणों की उपलब्धी में वृद्धि होने के साथ नये तकनीकी का लाभ छोटे कृषकों को होना शुरू हो गया है। चौथी योजना के लिए, विशेष उपायों की प्रस्तावना की जा रही है ताकि कृषि उत्पादन कार्यक्रमों में छोटे कृषक अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सके।

पट्टे की सुरक्षा पर भी बल दिया जा रहा है और माध्यम और दीर्घकालीन ऋण की सुविधाओं के प्रवाह को विस्तृत करने की दृष्टि से सहकारिता अन्य संस्थानीय एजेंसियों में ऋण की नीतियों और ढंगों का वर्गीकरण किया जा रहा है। भूमि सुधार उपाय विशेष कर बिचौलियों की समाप्ति, पट्ठेदारों को स्वामित्व अधिकार देने और वर्तमान भूमिदारी पर सीमा लगाना, लगभग सब राज्यों में लागू किये गये हैं। बिचौलियों की समाप्ति के फलस्वरूप, 200 लाख पट्टेदार राज्य के सीधे संपर्क में आ गये हैं। 70 लाख एकड़ भूमि के क्रय मूल्य की अदायगी के पश्चात 30 लाख पट्टेदारों को जिनमें हिस्सेदारी पर काश्तकार भी शामिल है अनिवार्य भूमि स्वामित्व के अधिकार प्रदान किये हैं। वर्तमान भूमि क्षेत्र पर अधिकतम सीमा लागू करने के फलस्वरूप, 23 लाख एकड़ भूमि अधिशेष घोषित की गई है और यह भूमिहीन कृषि श्रमिकों और अन्य मान्यता प्राप्त श्रेणियों के व्यक्तियों को वितरित की जा रही हैं।